

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप-1) विभाग

दिनांक : 11.9.2017

क्रमांक प.3(3)(कृषि-1)/2016
प.1(1)(जी-18II)आ.कृ./ग्रुप-8

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पत्र क्रमांक पं.7(4)भर्ती/गोपनीय/2013-14/261 दिनांक 31.07.2017 के द्वारा कृषि अनुसंधान अधिकारी (पौध व्याधि) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान कृषि सेवा नियम 1960 के प्रावधानानुसार राज्यपाल महोदय, कृषि अनुसंधान अधिकारी (पौध व्याधि) के पद पर वित्त विभाग की अधिसूचना एफ.12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 के अन्तर्गत रनिंग पे-बैंड 15600-39100 (पी.बी.-3) ग्रेड पे रु 5400/- में कार्यग्रहण तिथि से अस्थाई रूप से 2 वर्ष के लिये नियत वेतन रूपये 22180/- प्रतिमाह पर परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति प्रदान करते हैं। परिविक्षाकाल में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2008 की अनुसूची -IV के अन्तर्गत इन्हें फिक्स वेतन रूपये 22180/- (अक्षरे रूपये बाइस हजार एक सौ अस्सी) प्रतिमाह देय होगा। उनकी नियुक्ति पुलिस विभाग से प्राप्त पूर्वाचरण रिपोर्ट एवं राजस्थान सेवा नियमों के नियम 11 के अन्तर्गत प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों के आधार पर की जा रही है।


क्र. सं	नाम	पिता का नाम	स्थाई पता	मेरिट क्रमांक	वर्ग	वर्ग जिसके विरुद्ध चयन	जन्म दिनांक	पदस्थापन स्थान
1	अनुपम गोयल	चतुर्भुज गोयल	टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे, किशन नगर, हिण्डौन सिटी, जिला करौली	2	GE	Gen	30-09-1988	कार्या. उप निदेशक (उद्यान), प्रोजनी ओर्चार्ड, एटीसी उद्यान, नान्ता, कोटा
2	महेन्द्र प्रताप	भूपराम	गाँव व पोस्ट - चोहिलावाली, वाया - पीलीबंगा, हनुमानगढ़	3	BC	BC	04-06-1989	कार्या. उप निदेशक कृषि (शस्य), एटीसी, लूणकरणसर (बीकानेर)
3	जितेन्द्र शर्मा	सीताराम शर्मा	गाँव - जगमालपुरा, पोस्ट- जोबनेर, तह.- फुलेरा, जयपुर	4	GE	Gen	28-03-1989	कार्या. संयुक्त निदेशक, उद्यान, सेंटर ऑफ ऐक्सीलेंस, झालावाड़
4	जितेन्द्र कुमार धाकड	रमन लाल धाकड	गाँव - बामोरी, पोस्ट- बागोर, तह.- नादौती, जिला करौली	5	BC	BC	08-09-1989	कार्या. उप निदेशक, कृषि (शस्य), सेंटर ऑफ ऐक्सीलेंस-जैविक खेती, झालावाड़
5	प्रियंका झाला	जगपाल सिंह झाला	C/o विक्रम सिंह शक्तावत, फ्लैट नं० 20, 5 फ्लोर, ओम साई, अपार्टमेन्ट, आयड नदी के पास, सेवाश्रम उदयपुर	6	GE/WE	Gen	19-05-1991	कार्या. उप निदेशक, कृषि (शस्य), एटीसी, सुमेरपुर (पाली)
6	वर्षा रानी	ओम प्रकाश	गाँव - हुलमाना कलां, तह.- मुण्डावर, पोस्ट- जालावास, अलवर	7	SC/WE	SC	02-01-1990	कार्या. उप निदेशक, कृषि (शस्य), एटीसी, तबीजी, अजमेर

(Handwritten Signature)

उक्त नियुक्तियाँ निम्नांकित शर्तों के अध्यक्षीन होंगी:-


1. उक्त चयनित अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया/चयन एवं नियुक्ति कृषि अनुसंधान अधिकारी (कीट) के संबंध में माननीय विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न रिट याचिकाओं के अध्यक्षीन रहेगी।
2. नवनियुक्ति अधिकारियों के लिये अंशदायी पेंशन योजना वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 29.01.2004 एवं 13.03.2006 के अनुसार लागू होगी।
3. पूर्व में राज्य सरकार के विभागों में नियोजित कार्मिक राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2008 की अनुसूची IV के अनुसरण में फिक्स वेतन एवं वर्तमान वेतन श्रृंखला अपने लाभ के आधार पर प्राप्त करने के लिये विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।
4. चिकित्सा परिचर्या व्यय भुगतान राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों/नियमों / अधिसूचनाओं के अन्तर्गत देय होंगे।
5. कार्यग्रहण करने से पूर्व कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति दिनांक 20.06.2001 के अनुसार संतान संबंधी प्रमाण पत्र/ घोषणा प्रस्तुत करने होंगे।
6. परिविक्षा अवधि में वित्त विभाग की अधिसूचना/ आदेश दिनांक 13.06.2006 में अंकित शर्तों/ नियमों के अनुसार राज्य सेवा करनी होगी।
7. नियुक्त अभ्यर्थियों को नवनियुक्त स्थान पर उपस्थिति देने के लिये कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
8. उक्त कार्मिकों की परिविक्षा अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर नियमित नियुक्ति प्रदान की जावेगी।
9. वे चयनित अभ्यर्थी जो वर्तमान में राज्य सेवा में कार्यरत हैं, वे विधिवत रूप से अपने विभागाध्यक्ष से कार्यमुक्त होकर अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करेंगे।
10. नवपदस्थापित अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से अपनी उपस्थिति 30 दिवस के अन्दर-अन्दर अपने पदस्थापन कार्यालय पर प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि में उपस्थिति नहीं देने पर उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की
आज्ञा से


(डॉ० एस.पी.सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि शासन सचिवालय, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक पं.7(5)भर्ती/गोपनीय/2013-14/170 दिनांक 16.06.2017 के संदर्भ में।
4. शासन उपसचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
5. आयुक्त, कृषि, कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर।
6. संबंधित श्रीद्वारा आयुक्त, कृषि विभाग।
7. निजी/ आरक्षी पत्रावली ।


संयुक्त शासन सचिव


राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर,

दिनांक : 12/3/17

क्रमांक- प.1(1)(जी-18II)/आ.कृ/गुप-8/3151-3180

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक, उद्यान निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक कृषि (अनुसंधान/उद्यान) मु0 जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक कृषि (उद्यान) मु0 जयपुर/सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स झालावाड।
4. संयुक्त निदेशक कृषि (पौध व्याधि) राज्य जैव उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला दुर्गापुरा जयपुर।
5. ए.सी.पी., कम्प्यूटर शाखा मु0 जयपुर को अपलोड करने बाबत ।
6. उपनिदेशक कृषि (शस्य) एटीसी लूणकरणसर (बीकानेर)/सुमेरपुर (पाली)/तबीजी अजमेर /सेन्टर आफ एक्सीलेन्स जैविक खेती झालावाड।
7. उप निदेशक कृषि (उद्यान) प्रोजनी ओचार्ड, एटीसी उद्यान नान्ता कोटा।
8. संबंधित श्री
9. निजी/आरक्षी पत्रावली।


(सोमेन्द्र शर्मा)
संयुक्त निदेशक कृषि
(प्रशासन)